न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –30 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/89

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म शमा टी स्टोर एण्ड रेस्टोरेन्ट बोरखेडा कोटा, संचालक मो. सईद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी बोरखेडा, जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 19-5-2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्ध संचालित अभियान के तहत दिनांक 25.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित समीक्षा भटनागर, प्रवर्तन निरीक्षक, श्रीमती सन्ध्या सिन्हा, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरुपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफलिंग से जाने माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कम में बोरखेडा स्थित शमा टी स्टोर एण्ड रेस्टोरेन्ट पर मौके पर पहुंचे । मौके पर मोहम्मद सईद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी बोरखेडा जिला कोटा उपस्थित मिले । जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म / दुकान का मालिक होना बताया जिनकी उपस्थिति में जांच का कार्य सम्पादित किया गया है । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2किग्रा क्षमता) गैस भट्टी से जुडा पाया गया जिसका उपयोग चाय व नाश्ता बनाकर कीमतन विक्रय किया जाना पाया गया । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा अवैध रूप से संग्रहण एवं दुरूपयोग किया जा रहा है । मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजसथान इण्डेन गैस एजेंसी, कोटा के प्रतिनिधि श्री ब्रजेश पुत्र श्री मोहन को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्ध गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	319827	15.8	14.2	20.2	4.4	घरेलू

इस प्रकार शमा टी स्टॉल एण्ड रेस्टोरेन्ट के मालिक मोहम्मद सईद के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने का आदेश प्रदान करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी केनाल रोड बोरखेडा कोटा का निवासी है, प्रार्थी अपना व अपने परिवार के पालन पोषण हेतु शमा टी स्टॉल के नाम से नहर किनारे बोरखेडा कोटा पर चलाता है, मार्च माह में प्रार्थी कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर लगाकर अपना चाय का व्यवसाय कर रहा था, उसी दौरान 10–12 चाय के ग्राहक आ गये प्रार्थी ने चाय बनाने हेतु पानी व चाय की पत्ती व दूध भगोनी में डालकर चाय चढा दी कुछ चाय उबली ही थी कि गैस अचानक खतम हो गयी, ग्राहक भी चाय का इंतजार कर रहे थे, माल मेटेरियल खराब नहीं हो इसलिए प्रार्थी ने अपने पडोसी से उक्त ग्राहक के लिए व माल मेटेरियल खराब नहीं हो घरेलू सिलेण्डर लेकर आया जिसमें थोडी सी ही करीब चार किलो गैस थी लगाकर चाय बनाने लगा, लेकिन इसी दौरान चेंकिंग आ गई ओर सिलेण्डर को जब्त करके ले गये, जबकि प्रार्थी को उक्त चाय बनाकर उक्त सिलेण्डर वापस पडोसी को देना था लेकिन इसी बीच चेकिंग आ गयी प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है । अतः प्रार्थी को क्षमा कर उक्त सिलेण्डर को प्रार्थी को दिया जावें ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर श्री मोहम्मद सईद के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा क्षमता) को राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि वह चाय की दुकान लगाते है जिस पर कॉमर्शियल गैस उपयोग में लेते है किन्तु गैस खतम हो जाने पर चाय बनाने के लिए पडोसी से घरेलू गैस लेकर चाय बनाने लगा इसी दौरान गैस सिलेण्डर जब्त कर लिया है, तथा जब्तसुदा गैस सिलेण्डर सुपुर्दगी में देने का निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी नहीं की जा रही थी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित होगा ।
6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 01 गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 19 .05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा